न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी, जिला जयपुर।

पीठासीन अधिकारी रामकुमार वर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्या 274/2016

1– राधेश्याम पुत्र परताप (मृतक दौराने दावा)

1/1 मोहनलाल पुत्र राधेश्याम

2– मंगल पुत्र परताप (मृतक दौराने दावा)

2/1 कमलादेवी पत्नि स्व0 मंगल

समस्त जाति जांगिड ब्राहमण निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

---वादीगण

बनाम

1– रूकमणी बेवा हीरा (मृतक दौराने दावा नाम हजफ)

2– बद्री पुत्र किशना जाति कुम्हार (सिलावट) निवासी ग्राम मोहनपुरा, भागीरथपुरा के पास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

3– उप पंजीयक बस्सी, जिला जयपुर।

4– ग्राम पंचायत बस्सी जरिये सरपंच, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

6– सीताराम पुत्र रेवडया जाति जांगिड ब्राहमण निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

---तरतीबी प्रतिवादी

दावा–बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 29.11.2019

यह कि वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र भूमिवादग्रस्त के संबंध में बाबत् घोषण एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत पेश किया है एवं उक्त वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया था।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

वादपत्र में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मौखिक साक्ष्य भी पेश की गई है एवं वादपत्र में दिनांक 14.11.2019 को बहस अंतिम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्तागण की सुनी गई है।

यह कि न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र का निर्णय करते समय वादीगण के वादपत्र व संशोधित वादपत्र के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

यह कि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है एवं वादीगण परताब पुत्र लच्छीराम के व तरतीबी प्रतिवादी रेवडया पुत्र लादूराम का वारिस एवं उत्तराधिकारी है। जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

लादूराम — लच्छीराम

लादूराम → रेवडया → सीताराम

लच्छीराम → परताब → राधेश्याम, मंगल

यह कि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 के पूर्वज रेवडया व परताब भूमिवादग्रस्त के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से खातेदार काश्तकार थे तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के पूर्वजों की कदीमी खुदकाश्त व खातेदारी की भूमि थी, जिसका इन्द्राज मिसल हक्कीयत सम्वत 1987 के खाता संख्या 56 के खसरा संख्या 759 रकबा 9 बीधा 4 बिस्वा मौजा बस्सी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के पूर्वज रेवडया व परताप के नाम कदीमी खुदकाश्त में दर्ज है।

यह कि वादीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि के बन्दोबस्त सम्वत् 2015 में वादीगण की उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 850 रकबा 9 बीधा 4 बिस्वा कायम किया जाकर उसका खातेदारी इन्द्राज अवैध रूप से हजारी, हीरा,

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

किशना पि0 गणेश कौम कुम्हार (सिलावट) के नाम खातेदारी में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एवं बिना जानकारी वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी व उनके पूर्वजों के अवैध एवं गैर कानूनी रूप से कर दिया जबकि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी निरन्तर अपनी पैतृक कब्जे काश्त व खातेदारी की खुदकाश्त भूमि पर बिना किसी बाधा के काबिज रहे है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि हजारी, हीरा व किशना का देहावसान हो चुका है। हजारी नाऔलाद फोत हुआ है तथा हीरा के उसकी बेवा रूकमणी व किशना के एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 बद्री हुआ है, वही हीरा का भी वारिस है।

यह कि एकीकरण कार्यवाही सम्वत 2019 में वादीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी व खुदकाश्त की भूमि साविका खसरा नम्बर 850 रकबा 9 बीधा 4 बिस्वा को हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 24 बीधा 17 बिस्वा में शामिल कर दिया तथा हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 24 बीधा 17 बिस्वा में से 9 बीधा 4 बिस्वा भूमि ही वादग्रस्त है।

यह कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 280 रकबा 24 बीधा 17 बिस्वा के हाल बन्दोबस्त कार्यवाही में उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर का नया खसरा नम्बर 434 रकबा 6.29 है0 कायम किया गया है। वादग्रस्त भूमि का नया खसरा नम्बर ही वाद की विषय वस्तु है एवं विवादग्रस्त भूमि है।

यह कि भूमिवादग्रस्त सम्वत 1987 के पूर्व से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी के पूर्वजों रेवडया व परताप की खातेदारी व खुदकाश्त की भूमि रही है तथा बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को केवल पूर्व से चले आ रहे राजस्व इन्द्राज को दोहराने की ही शक्तियॉ प्राप्त थी। बन्दोबस्त कार्यवाही में भूप्रबन्ध अधिकारी व कर्मचारी को किसी व्यक्ति की खातेदारी हटाने व अन्य किसी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था परन्तु बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान वादीगण की कब्जेकाश्त व खातेदारी की पैतृक खुदकाश्त की भूमि का खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी संख्या एक के पति हीरा व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता किशना व हजारी के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं था। बन्दोबस्त कार्यवाही में वादीगण के भूमि के किये गये अवैध खातेदारी इन्द्राज बंनुकाबले

गल पुत्र परताप (मृतक दौराने दावा)
/1 कमला देवी पत्नि स्व0 मंगल
मस्त जाति जांगिड ब्राहमण निवासी ग्राम
ोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर

हगण)

2 बद्री पुत्र किशना जाति कुम्हार(सिलावट) निवासी ग्राम मोहनुरा, भागीरथ के पास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3 उप पंजीयक बस्सी, जिला जयपुर।
4 ग्राम पंचायत बस्सी जरिये सरपंच, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

6 सीताराम पुत्र रेवडया जाति जांगिड ब्राहमण निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा, एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अर्न्तधारा धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

ुकदमा न0 274/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे .... वादी व .... प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू हमारे मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली पर मौजूद वादीगण व प्रतिवादीगण की दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य व विधि के प्रावधानों के तहत व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर उनका अवलोकन व गंभीरतापूर्वक मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचता है कि वादीगण का उक्त वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

.......निजि.......मुबकिल.......बाबत............खर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगैरह............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..................को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/11/2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.......

ओहदा उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिए दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी
जिला-जयपुर

अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली पर मौजूद वादीगण व प्रतिवादीगण की दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य व विधि के प्रावधानों के तहत व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर उनका अवलोकन व गंभीरतापूर्वक मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचता है कि वादीगण का उक्त वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। और इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय लिखवाया जाकर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम कुमार वर्मा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
बस्सी, जिला जयपुर।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी
सत्यमेव जयते
जिला जयपुर